प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय,
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 018

सं. प्रनिलेप (के)/दावा II/आईटी /21-22/ 28 दिनांक: 13/08/2021

परिपत्र सं. 06

विषय : - वर्ष 2021-22 (आंकलन वर्ष 2022-23) के लिए आयकर की वसूली ।

संदर्भ - इस कार्यालय के परिपत्र सं.18 में जारी किए गए दि.12.03.2021 के पत्र सं. प्रनिलेप (के)/दावा II यूनिट आई टी/2021-22/74.

******

वित्त अधिनियम 2020 ने वेतनभोगी वर्ग के संबंध में व्यक्ति के लिए एक तो बचत और मानक कटौती के साथ कर गणना का चयन करने या इन कटौती के बिना कर गणना के विकल्प के साथ परिवर्तन किया था । वित्त अधिनियम 2020 द्वारा सम्मिलित धारा 115 बीएसी के अनुसार, अपनी आय की रिर्टन के साथ पिछले वर्ष के संबंध में कर का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है ।

इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2021-22 (एवाई 2022-23) के लिए नई कर व्यवस्था के विकल्प का चयन इच्छुक अधिकारी संलग्न प्रारूप में 31.08.2021 को या उससे पहले दावा अनुभाग को सूचित कर सकते हैं ऐसे अधिकारी जो पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रासंगिक प्रमाण के साथ फॉर्म 12बीबी जमा करना होगा । प्रासंगिक प्रमाण के बिना घोषित बचत को कर लाभ के लिए नहीं माना जाएगा। ।

(प्रनिलेप (के) के दिनांक 12.08.2021 के आदेशानुसार)

लक्ष्मी शंकर

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा

प्रति
अंग्रेजी रूपांतरण

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय,
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 018

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा
मनिलेप(के) का कार्यालय
चेन्नै 18.

महोदया,

विषय : -वर्ष 2021-22 (एवाई 2022-23) के लिए धारा टीडीएस बनाने की सूचना – के संबंध में।

******

नाम

पद

स्कंध/अनुभाग

पैन सं.

मोबाइल सं.

कर्मचारी आयडी

वित्तीय वर्ष 2021-22 (आंकलन वर्ष 2022-23) के लिए टीडीएस धारा 115 बीएसी के तहत मई कर व्यवस्था के आधार पर वसूल किया जा सकता है।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक :